रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

155

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 397] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 6, 1982/भाद्र 15, 1904

No. 397] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 6, 1982/BHADRA 15, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 1982

का० आ० 652 (अ) :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य-आवंटन) एक सौ पचपनवां संशोधन नियम, 1982 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 में—

(1) प्रथम अनुसूची में, —

(क) प्रविष्टि "1क" नागरिक पूर्ति मंत्रालय का संख्यांक बदलकर "1ग" कर दिया जाए, और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित की गई प्रविष्टि से पहले, निम्नलिखित प्रविष्टियों को अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"1क. रसायन और उर्वरक मंत्रालय।

1ख. नागर विमानन मंत्रालय।";

(ख) प्रविष्टि "6. ऊर्जा मंत्रालय" के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए, अर्थात्:—

"6. ऊर्जा मंत्रालय,

(i) पेट्रोलियम विभाग।

(ii) विद्युत विभाग।

(iii) कोयला विभाग।

(iv) गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग।";

(ग) प्रविष्टि "13. श्रम मंत्रालय" के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए, अर्थात्:—

"13. श्रम और पुनर्वास मंत्रालय :

(i) श्रम विभाग।

(ii) पुनर्वास विभाग।";

(घ) प्रविष्टि "15. पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय" का लोप किया जाए;

(ङ) प्रविष्टि "21. पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय" के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए, अर्थात्:—

"21. पूर्ति मंत्रालय";

(च) प्रविष्टि "22. पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय" के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए, अर्थात्:—
"22. पर्यटन मंत्रालय ।';

(छ) प्रविष्टि "26क. पर्यावरण विभाग" के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए, अर्थात्:—
"26क. परिस्थिति विज्ञान विभाग ।";

(ज) प्रविष्टि "29. अंतरिक्ष विभाग" के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

"29क. खेल विभाग ।";

(2) द्वितीय अनुसूची में,—

(क) "कृषि मंत्रालय" शीर्षक के अंतर्गत, "कृषि और सहकारिता विभाग" उप-शीर्षक के नीचे,—

(i) प्रविष्टि 31 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए, अर्थात्:—

"31. वन—वन नीति और जहां तक अंडमान और निकोबार द्वीपों का संबंध है, वनों और वन-प्रशासन से संबद्ध सभी मामले ।";

(ii) प्रविष्टि 45 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए, अर्थात्:—

"45. पशु-पालन जिसके अंतर्गत (क) कांजी हाउस और पशु-अतिचार; (ख) ढोरों का उपयोग और वध है ।";

(ख) "कृषि मंत्रालय" शीर्षक और उसके अंतर्गत प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएं, अर्थात्:—

"रसायन और उर्वरक मंत्रालय

1. उवरकों का उत्पादन ।
2. औषधियां तथा फार्मास्यूटिकल्स ।
3. कीटनाशी [कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 64) के प्रशासन के अतिरिक्त] ।
4. सीरा—वितरण और मूल्य-निर्धारण ।
5. एलकोहल—औद्योगिक और पेय, भारतीय पावर एलकोहल अधिनियम, 1948 (1948 का 22) सहित ।
6. रंजक-द्रव्य और रंजक-अध्यक ।
7. सभी कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन जो किसी अन्य विभाग को विनिर्दिष्टतया आवंटित नहीं किए गए हैं ।
8. मंत्रालय द्वारा व्यवहृत सब उद्योगों की योजना, विकास तथा नियंत्रण और सहायता ।
9. इस मंत्रालय के अंतर्गत विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी से भी सम्बन्धित सभी संलग्न अथवा अधीनस्थ कार्यालय अथवा अन्य संगठन ।
10. इस मंत्रालय में सम्मिलित विषयों से संबंधित सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएं, उन परियोजनाओं को छोड़ कर जो किसी अन्य मंत्रालय अथवा विभाग को विनिर्दिष्टतया आबंटित की गई हैं।
11. ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम, 1952 (1952 का 20) ।
12. पायराइट्स, फास्फेट्स एंड केमिकल्स लि० ।

नागर विमानन मंत्रालय

1. मौसम विज्ञान संगठन
2. वायुयान और विमान नौचालन; हवाई अड्डों की व्यवस्था; हवाई यातायात और हवाई अड्डों का (विमान नौचालन से संबंधित स्वच्छता व्यवस्था के नियंत्रण के सिवाय) विनियमन और संगठन ।
3. वायुयान की सुरक्षा के लिए बीकन तथा अन्य व्यवस्थाएं ।
4. वायुमार्ग से यात्रियों और माल का वहन ।
5. इंटरनेशनल सिविल एवियेशन आर्गेनाइजेशन (आई० सी० ए० ओ०) ।
6. इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आई० ए० टी० ए०) ।
7. कामनवैल्थ एयर ट्रांसपोर्ट काउंसिल (सी०ए०टी०सी०) ।
8. कामनवैल्थ ऐडवाइजरी एरोनॉटिकल रिसर्च काऊंसिल ।
9. वायु निगम अधिनियम, 1953 (1953 का 27) के अधीन स्थापित निगम
10. भारतीय होटल निगम ।
11. मुख्य आयुक्त, रेल सुरक्षा ।
12. भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण ।
13. इस सूची मे विनिर्दिष्ट मामलों में से किसी भी बाबत विधियों के विरुद्ध अपराध ।
14. इस सूची में विनिर्दिष्ट मामलों में से किसी के प्रयोजन के लिए जांच और आंकड़े ।
15. इस सूची में विनिर्दिष्ट मामलों में से किसी के बारे में फीसें, किन्तु इसके अन्तर्गत किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीसें नहीं आती हैं ।
16. इस सूची में विनिर्दिष्ट मामलों में से किसी से संबद्ध संधियों और करारों का कार्यान्वयन ।";

(ग) "शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय" शीर्षक के अंतर्गत, "क. शिक्षा विभाग" उप-शीर्षक के नीचे, प्रविष्टि 9 और 10 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए, अर्थात्:—
"9. शारीरिक शिक्षा ।";

(घ) "ऊर्जा मंत्रालय" शीर्षक और उसके अंतर्गत प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएं, अर्थात्:—

"ऊर्जा मंत्रालय

क. पेट्रोलियम विभाग

1. प्राकृतिक गैस सहित, पेट्रोलियम के साधनों के लिए खोज और उनका दोहन ।
2. प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पादों सहित, पेट्रोलियम का उत्पादन, सप्लाई, वितरण, विपणन और मूल्य निर्धारण ।
3. तेल परिष्करणियां, जिनमें स्नेहक संयंत्र शामिल हैं।
4. पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के लिये योज्य ।
5. स्नेह मिश्रण और ग्रीसें ।
6. पेट्रो-रसायन ।
7. सेलुलोज रहित संशिलष्ट श्लफाइबर (नायलान, पोलियेस्टर, एक्रिलिक, आदि) के उत्पादन से संबंधित उद्योग ।

8. संश्लिष्ट रबड़।

9. प्लास्टिक, जिसमें प्लास्टिकों की विरचना और प्लास्टिक की ढली हुई वस्तुएं शामिल हैं।

10. विभाग द्वारा व्यवहृत सब उद्योगों की योजना, विकास तथा नियन्त्रण और सहायता।

11. इस सूची में विनिर्दिष्ट विषयों से संबंधित सभी संलग्न या अधीनस्थ या अन्य संगठन।

12. उन परियोजनाओं के सिवाय, जो किसी अन्य मंत्रालय/विभाग को विनिर्दिष्टतया आबंटित की गई है, इस सूची में सम्मिलित किए गए विषयों के अन्तर्गत आने वाली सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएं, इंजीनियर्स इंडिया लि० और इंडो-बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी, जिसमें उसके अनुषंगी भी शामिल हैं।

13. तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53)।

14. तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, 1959 (1959 का 43)।

15. पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50)।

16. एस्सो (भारत में उपक्रमों का अर्जन) अधिनियम, 1974 (1974 का 4)।

17. तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 47)।

18. बर्मा-शैल (भारत में उपक्रमों का अर्जन) अधिनियम, 1976 (1976 का 2)।

19. कालटैक्स (कालटैक्स आयल रिफाइनिंग (इंडिया) लि० के शेयरों का और कालटैक्स (इंडिया) लि० के भारत में उपक्रमों का अर्जन) अधिनियम, 1977 (1977 का 17)।

ख. विद्युत विभाग

1. ऊर्जा के क्षेत्र में साधारण नीति।

2. अनुसंधान, विकास, तकनीकी सहायता और जल-विद्युत और ऊष्मीय शक्ति से संबंधित सभी मामले।

3. भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 का प्रशासन।

4. विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 का प्रशासन।

5. केन्द्रीय विद्युत बोर्ड।

6. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण।

7. संघ राज्य क्षेत्रों में विद्युत स्कीमें।

8. दामोदर घाटी निगम।

9. दि नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड।

10. भाखड़ा प्रबंध बोर्ड और व्यास परियोजना (सिंचाई से संबंधित मामलों को छोड़कर)।

ग. कोयला विभाग

1. भारत में कोकिंग और नान-कोकिंग कोयले तथा लिगनाइट के निक्षेपों का अन्वेषण और विकास।

2. कोयले के उत्पादन, पूर्ति, वितरण और कीमतों से संबंधित सभी मामले।

3. इस्पात विभाग जिनके लिए जिम्मेदार है उनसे भिन्न कोयला वाशरियों का विकास और संचालन।

4. कोयले का निम्न ताप पर कार्बनीकरण और कोयले से संश्लिष्ट तेल का उत्पादन।

5. कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 का प्रशासन।

6. कोयला खान भविष्य निधि संगठन।

7. कोयला खान कल्याण संगठन।

8. कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 (1948 का 46) का प्रशासन।

9. कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1947 (1947 का 32) का प्रशासन।

10. कोयला-धारक क्षेत्र (अधिनियम और विकास) अधिनियम, 1957 का प्रशासन।

11. कोयले और लिग्नाइट से संबंधित सरकारी क्षेत्र के उद्यम।

12. खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 तथा अन्य केन्द्रीय कानूनों का प्रशासन जहां तक कि उक्त अधिनियम और कानूनों का संबंध कोयले और लिग्नाइट और भरणार्थ बालू से है; इस प्रकार के प्रशासन से प्रसंगवश कार्य जिसमें विभिन्न राज्यों से संबंधित प्रश्न शामिल हैं।

घ. गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग

1. बायो-गैस का अनुसंधान और विकास तथा बायो-गैस यूनिटों से सम्बद्ध कार्यक्रम।

2. अतिरिक्त ऊर्जा-स्रोत आयोग (सी०ए०एस०ई०)।";

(ङ) "श्रम मंत्रालय" शीर्षक और उसके अंतर्गत प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएं, अर्थात:—

"श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

क. श्रम विभाग

भाग I—संघ विषय

1. संघ रेलों की बाबत मजदूरी संदाय, व्यवसाय-विवाद, कारखाना अधिनियम के अंतर्गत न आने वाले कर्मचारियों के लिए काम के घंटे और बालकों के नियोजन का विनियमन।

2. पत्तन के बारे में—पत्तन श्रम से संबंधित सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण उपायों का विनियमन।

3. खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा, का विनियमन।

भाग II—समवर्ती विषय

4. कारखाने

5. श्रम कल्याण—श्रम की औद्योगिक, वाणिज्यिक और कृषि संबंधी दशाएं, भविष्य निधियां, कुटुम्ब पेंशन, उपदान, नियोक्ता का दायित्व और कर्मकार-प्रतिकर, स्वास्थ्य और रोग बीमा, जिसमें अशक्तता पेंशन, वार्धक्य पेंशन, कारखाने में कार्य दशाओं में सुधार सम्मिलित हैं; औद्योगिक उपक्रमों में कैन्टीनें।

6. बेकारी बीमा।

7. व्यवसाय संघ, उद्योग और श्रम-विवाद।

8. श्रम संबंधी आंकड़े।

9. ग्रामीण रोजगार और बेरोजगारी के सिवाय रोजगार और बेरोजगारी।

10. शिल्पकारों का व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण।

भाग III-हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त कार्य।

11. उपर्युक्त भाग II में वर्णित मदें।

भाग IV--उपर्युक्त भाग I, II और III में वर्णित मामलों में से किसी के संबंध में आनुषंगिक कार्य।

12. अन्य देशों से की गई संधियों और करारों का कार्यान्वयन।

13. विधियों के विरुद्ध अपराध।

14. जांच और आंकड़े।

15. फीसें, किन्तु वे फीसें नहीं जो किसी न्यायालय में ली जाती हैं।

16 (उच्चतम न्यायालय को छोड़कर) सब न्यायालयों की शक्तियां और अधिकारिता।

भाग V--प्रकीर्ण कार्य

17. रोजगार कार्यालय।

18. भारत में और विदेशों में दोनों जगह फोरमैन और पर्यवेक्षक के स्तर पर शिक्षकों, शिल्पकारों, तकनीकज्ञों के प्रशिक्षण के लिए स्कीमें, शिक्षु प्रशिक्षण।

19. अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन।

20. त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन।

21. युद्ध क्षति (प्रतिकर बीमा), अधिनियम, 1943 और स्कीम।

22. आवश्यक सेवा (अनुरक्षण) अध्यादेश का प्रशासन।

23. कोयला खानों से भिन्न खानों में सुरक्षा और कल्याण से संबंधित विधियों का; और खान और अभ्रक खान कल्याण के मुख्य निरीक्षक के संगठनों का प्रशासन।

24. भारतीय पत्तन श्रम अधिनियम, 1934 का प्रशासन और तदधीन बनाए विनियम और पत्तन कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 के अधीन निर्मित पत्तन कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) स्कीम।

25. चाय जिला उत्प्रवासी श्रमिक अधिनियम और उत्प्रवासी श्रम नियंत्रक संगठन का प्रशासन।

26. उत्प्रवास अधिनियम, 1922 (1922 का 7) के अंतर्गत भारत से विदेशों को होने वाले सभी उत्प्रवास और उत्प्रवासियों की वापसी।

27. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का प्रशासन।

28. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34), कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) और उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (1972 का 39) का प्रशासन।

29. केन्द्रीय क्षेत्र उपक्रमों में श्रम विषयक विधियों का प्रशासन।

30. श्रम संबंधी आंकड़े, श्रम ब्यूरो के निदेशक का संगठन।

31. मुख्य श्रम आयुक्त का संगठन और केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरणों, केन्द्रीय सरकार श्रम न्यायालयों, राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण का गठन और प्रशासन।

32. कारखानों के मुख्य सलाहकार का संगठन, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय श्रम संस्थान, उत्पादिता और उद्योग के अंतर्गत प्रशिक्षण केन्द्र और सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के प्रादेशिक संग्रहालय हैं।

33. बागान श्रमिक और बागान श्रम अधिनियम, 1951 (1951 का 69) का प्रशासन।

34. सरकारी श्रम अधिकारियों की भर्ती, तैनाती, अंतरण और प्रशिक्षण।

35. श्रम-जीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 का प्रशासन।

36. कर्मकारों का शिक्षा संबंधी स्कीम।

37. प्रबन्ध में कर्मकारों के भाग लेने के संबंध में स्कीमें।

38. उद्योग में अनुशासन।

39. अलग-अलग उद्योगों के लिए मजदूरी बोर्डों का गठन।

40. मोटर परिवहन कर्मकार की काम की दशाओं का अधिनियमन।

41. देश में श्रम विषयक विधियों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन।

ख. पुनर्वास विभाग

1. भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों की सहायता और पुनर्वास

सहायता में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:
शिविरों की स्थापना, नगद खैरात का भुगतान, अन्य सुविधाओं और आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था।
पुनर्वास में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:
आवास, प्रशिक्षण और रोजगार, भूमि, कारबार, उद्योगों और अन्य कृषितर व्यवसायों के संबंध में पुनःस्थापन।

2. प्रत्यावर्तित भारतीय राष्ट्रिकों को राहत और उनका पुनर्वास।

3. तिब्बती शरणार्थियों की सहायता और पुनर्वास।

4. जम्मू और काश्मीर में छम्ब क्षेत्र से विस्थापित व्यक्तियों की सहायता और पुनर्वास। छम्ब विस्थापित व्यक्ति पुनर्वास प्राधिकारण।

5. दण्डकारण्य विकास योजना और दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण

6. भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों के लिए केन्द्रीय शिविरों, कार्य-स्थल शिविरों और कर्मी शिविरों का प्रशासन।

7. पुनर्वास उद्योग निगम।

8. पश्चिमी बंगाल में भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों से संबंधित अवशिष्ट समस्याएं।

9. बंगला देश से आए शरणार्थियों की अवशिष्ट समस्याएं।

10. जम्मू और काश्मीर के पाकिस्तान-अधिकृत क्षेत्रों से आने वाले प्रवासियों की अवशिष्ट समस्याएं।

11. समय-समय पर प्रधान मंत्री द्वारा निर्दिष्ट किए गए विशेष क्षेत्रों का विकास।

12. भारत-पाकिस्तान युद्ध, 1971 के दौरान जम्मू और काश्मीर पंजाब, गुजरात और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में पीड़ित व्यक्तियों की सहायता और पुनर्वास।

13. भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान, जो अब पाकिस्तान है, से आए विस्थापित व्यक्तियों से संबंधित अवशिष्ट मामले।

14. निम्नलिखित अधिनियमों का प्रशासन:--

(क) निष्क्रांत सम्पत्ति का प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का 31)

(ख) निष्क्रांत हित (पृथक्करण) अधिनियम, 1951 (1951 का 64)

(ग) विस्थापित व्यक्ति (ऋण समंजन) अधिनियम, 1951 (1951 का 70)

(घ) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44)

(ङ) विस्थापित व्यक्ति (दावे) अनुपूरक अधिनियम, 1954 (1954 का 12)

(च) निष्क्रांत निक्षेपों का हस्तान्तरण अधिनियम, 1954 (1954 का 15)

(छ) गोवा, दमण और दीव में निष्क्रांत सम्पत्ति का प्रशासन अधिनियम, 1964 से संबंधित मामले।

15. भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान, जो अब पाकिस्तान है, से आए विस्थापित व्यक्तियों द्वारा छोड़ी गई निष्क्रांत सम्पत्ति के संबंध में पाकिस्तान के साथ बात-चीत।

16. भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान, जो अब पाकिस्तान है, से प्राप्त चल सम्पत्ति को भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान, जो अब पाकिस्तान है, से आए विस्थापित व्यक्तियों को वापस देना।

17. (क) भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान, जो अब पाकिस्तान है, से आए विस्थापित व्यक्तियों, जो अविभाजित प्रान्तों और स्थानीय निकायों में सरकारी कर्मचारी हैं/थे के पेंशन, भविष्य निधि, अवकाश वेतन और प्रतिभूति निक्षेपों संबंधी दावों का सत्यापन और भुगतान।

(ख) भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान, जो अब पाकिस्तान है, से आए विस्थापित सरकारी कर्मचारियों को पेंशन, भविष्य निधि, अवकाश वेतन और अनुग्रह पूर्वक सहायता के भुगतान, ठेकेदारों को, उनके सत्यापित दावों के संबंध में सहायता के अनुदान के लिए तदर्थ योजनाएं भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी जो अब पाकिस्तान है, से 1-1-1961 और 25-3-1971 के बीच आए पेंशन-भोगियों को सहायता का अनुदान।

18. इस सूची में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय से संबंधित सभी संलग्न अथवा अधीनस्थ कार्यालय अथवा अन्य संगठन।

द्रष्टव्य :—जहां विनिर्दिष्ट है, उसे छोड़कर, सहायता और पुनर्वास के कार्यक्रम राज्य सरकारों के माध्यम से निष्पादित और प्रशासित होते हैं।";

(च) "पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय" शीर्षक और उसके अंतर्गत प्रविष्टियों का लोप किया जाए;

(छ) "पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय" शीर्षक और उसके अंतर्गत प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएं, अर्थात् :—

"पूर्ति मंत्रालय

1. जिन मदों का क्रय, निरीक्षण और उन्हें रवाना करने का कार्य किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा अन्य प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित किया गया है, उनसे भिन्न स्टोर का केन्द्रीय सरकार के लिए क्रय, निरीक्षण और रवाना करने का कार्य।

2. अधिशेष स्टोर का व्ययन।

3. मत युद्ध-संगठनों जिनके अंतर्गत मिलिट्री अनुरक्षण यूनिटों सहित वायुयान महानिदेशालय और पोत मरम्मत महानिदेशालय भी हैं, से संबंधित पूर्ति और व्ययन का अवशिष्ट कार्य।

4. निम्नलिखित का प्रशासन :—

(क) पूर्ति और व्ययन महानिदेशालय।

(ख) मुख्य वेतन और लेखा अधिकारियों का कार्यालय, नई दिल्ली।

(ग) राष्ट्रीय परीक्षण गृह, अलीपुर, कलकत्ता।";

(ज) "पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय" शीर्षक और उसके अंतर्गत प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएं, अर्थात्:—

"पर्यटन मंत्रालय

1. पर्यटन विकास।

2. युवक होस्टल।

3. भारतीय पर्यटन विकास निगम तथा उसके अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के होटल/मोटल।

4. इस सूची में विनिर्दिष्ट मामलों में से किसी के प्रयोजन के लिए जांच और आंकड़े।"

(झ) 'पर्यावरण विभाग' शीर्षक और उसके अंतर्गत प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएं, अर्थात् :—

"परिस्थिति विज्ञान विभाग

1. पर्यावरण और परिस्थिति विज्ञान।

2. वन्य जन्तुओं का परीरक्षण तथा वन्य पक्षियों और जीव जन्तुओं का संरक्षण।

3. भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण।

4. भारतीय प्राणि विज्ञान सर्वेक्षण।

5. प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय।

6. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) 1974।

7. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977।

8. वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981.";

(ञ) "अंतरिक्ष विभाग" शीर्षक और उसके अंतर्गत प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएं, अर्थात् :—

"खेल विभाग

1. खेलकूद, क्रीड़ा, बालचर, वीरबाला, राष्ट्रीय अनुशासन स्कीम, आदि

2. (युवक होस्टलों को छोड़कर) युवक कल्याण क्रियाकलाप, युवक समारोह, कार्य शिविर, आदि।"

जैल सिंह,
राष्ट्रपति

[सं० 74/2/11/82-मंत्रि०]
प्रेम कुमार, अपर सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th September, 1982

S.O. 652(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the

President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One Hundred and Fifty-fifth Amendment) Rules, 1982.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,—

(1) in the First Schedule,—

(a) entry "1A. Ministry of Civil Supplies (Nagrik Poorti Mantralaya)", shall be re-numbered as entry "1C", and before the entry as so re-numbered, the following entries shall be inserted, namely :—

"1A. Ministry of Chemicals and Fertilizers (Rasayan aur Urvarak Mantralaya).

1B. Ministry of Civil Aviation (Nagar Vimanan Mantralaya)." ;

(b) for entry "6. Ministry of Energy (Oorja Mantralaya)", the following entry shall be substituted, namely :—

"6. Ministry of Energy,
(Oorja Mantralaya) :

(i) Department of Petroleum,
(Petroleum Vibhag).

(ii) Department of Power,
(Vidyut Vibhag).

(iii) Department of Coal,
(Koyala Vibhag).

(iv) Department of Non-conventional Energy Sources,
(Gair-Paramparik Oorja Srota Vibhag)." ;

(c) for entry "13. Ministry of Labour (Shram Mantralaya)", the following entry shall be substituted, namely :—

"13. Ministry of Labour and Rehabilitation,
(Shram aur Punarwas Mantralaya) :

(i) Department of Labour,
(Shram Vibhag).

(ii) Department of Rehabilitation,
(Punarwas Vibhag)." ;

(d) entry "15. Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Petroleum, Rasayan aur Urvarak Mantralaya)", shall be omitted ;

(e) for entry "21. Ministry of Supply and Rehabilitation (Poorti aur Punarwas Mantralaya)", the following entry shall be substituted, namely :—

"21. Ministry of Supply,
(Poorti Mantralaya)." ;

(f) for entry "22. Ministry of Tourism and Civil Aviation (Paryatan aur Nagar Vimanan Mantralaya)", the following entry shall be substituted, namely :—

"22. Ministry of Tourism,
(Paryatan Mantralaya)." ;

(g) for entry "26A. Department of Environment (Paryavaran Vibhag)", the following entry shall be substituted, namely :—

"26A. Department of Ecology,
(Paristhiti Vigyan Vibhag)" ;

(h) after entry "29. Department of Space (Antariksh Vibhag)", the following entry shall be inserted, namely :—

"29A. Department of Sports,
(Khel Vibhag).";

(2) in the Second Schedule,—

(a) under the heading "MINISTRY OF AGRICULTURE (KRISHI MANTRALAYA)", under sub-heading "A. DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION (KRISHI AUR SAHKARITA VIBHAG)",—(i) for entry 31, the following entry shall be substituted, namely :—

"31. Forests—Forest Policy and all matters relating to forests and forest administration in so far as the Andaman and Nicobar Islands are concerned." ;

(ii) for entry 45, the following entry shall be substituted, namely :—

"45. Animal Husbandry including—(a) pounds and cattle trespass ; (b) cattle utilisation and slaughter." ;

(b) after the heading "MINISTRY OF AGRICULTURE (KRISHI MANTRALAYA)" and the entries thereunder the following headings and entries shall be inserted, namely :—

"MINISTRY OF CHEMICAL AND FERTILIZERS (RASAYAN AUR URVARAK MANTRALAYA).

1. Production of Fertilizers.

2. Drugs and Pharmaceuticals.

3. Insecticides [excluding the administration of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968)].

4. Molasses—distribution and pricing.

5. Alcohol—Industrial and potable, including the Indian Power Alcohol Act, 1948 (22 of 1948).

6. Dye-stuffs and dye-intermediates.

7. All organic and inorganic chemicals, not specifically allotted to any other Ministry or Department.

8. Planning, development and control of, and assistance to, all industries dealt with by the Ministry.

9. All attached or subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified under the Ministry.

10. Public sector projects concerned with the subjects included under this Ministry except such projects as are specifically allotted to any other Ministry or Department.

11. Inflammable Substances Act, 1952 (20 of 1952).

12. Pyrites, Phosphates and Chemicals Limited.

MINISTRY OF CIVIL AVIATION (NAGAR VIMANAN MANTRALAYA).

1. Meteorological Organisation.

2. Aircraft and air navigation; provision of aerodromes; regulation and organisation of air traffic and of aerodromes excepting sanitary control of air navigation.

3. Beacons and other provision for the safety of aircraft.

4. Carriage of passengers and goods by air.

5. International Civil Aviation Organisation (ICAO).

6. International Air Transport Association (IATA).

7. Commonwealth Air Transport Council (CATC).

8. Commonwealth Advisory Aeronautical Research Council.

9. Corporations established under the Air Corporations Act, 1953 (27 of 1953).

10. Hotel Corporation of India.

11. Chief Commissioner of Railway Safety.

12. International Airports Authority of India.

13. Offences against laws with respect to any of the matters specified in this list.

14. Inquiries and statistics for the purpose of any of the matters specified in this list.

15. Fees in respect of any of the matters specified in this list but not including fees taken in any court.

16. Implementation of treaties and agreements relating to any of the matters specified in this list.";

(c) under the heading "MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE (SHIKSHA AUR SANSKRITI MANTRALAYA)", under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF EDUCATION (SHIKSHA VIBHAG)", for entries 9 and 10, the following entry shall be substituted, namely :—

"9. Physical education.";

(d) for the heading "MINISTRY OF ENERGY (OORJA MANTRALAYA)" and the entries thereunder, the following heading and entries shall be substituted, namely :—

"MINISTRY OF ENERGY (OORJA MANTRALAYA).

A. DEPARTMENT OF PETROLEUM (PETROLEUM VIBHAG)

1. Exploration for and exploration of petroleum resources, including natural gas.

2. Production, supply, distribution, marketing and pricing of petroleum, including natural gas and petroleum products.

3. Oil Refineries, including Lube Plants.

4. Additives for petroleum and petroleum products.

5. Lube blending and greases.

6. Petro-chemicals.

7. Industries relating to the production of non-cellulosic synthetic fibres (Nylon, Polyester, Acrylic, etc.).

8. Synthetic Rubber.

9. Plastics, including fabrication of plastic and plastic moulded goods.

10. Planning, development and control of, and assistance to, all industries dealt with by the Department.

11. All attached or subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list.

12. Public sector projects falling under the subjects included in this list, Engineers India Limited and Indo-Burma Petroleum Company, together with its subsidiaries, except such projects as are specifically allotted to any other Ministry|Department.

13. The Oil Fields [(Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948)].

14. The Oil and Natural Gas Commission Act, 1959 (43 of 1959).

15. The Petroleum Pipelines [(Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962)].

16. The Esso [(Acquisition of Undertakings in India) Act, 1974 (4 of 1974)].

17. The Oil Industry [(Development Act, 1974) (47 of 1974)].

18. The Burmah-Shell [(Acquisition of Undertakings in India) Act, 1976 (2 of 1976)].

19. The Caltex [(Acquisition of Shares of Caltex Oil Refining (India) Limited and of the Undertakings in India of Caltex (India) Limited) Act, 1977 (17 of 1977)].

B. DEPARTMENT OF POWER (VIDYUT VIBHAG)

1. General policy in the field of energy.

2. Research, development, technical assistance and all matters relating to hydro-electric and thermal power.

3. Administration of Indian Electricity Act, 1910.

4. Administration of Electricity (Supply) Act, 1948.

5. Central Electricity Board.

6. Central Electricity Authority.

7. Power Schemes in Union Territories.

8. The Damodar Valley Corporation.

9. National Projects Construction Corporation Limited.

10. Bhakra Management Board and Beas Project (except matters relating to irrigation).

C. DEPARTMENT OF COAL (KOYLA VIBHAG)

1. Exploration and development of coking and non-coking coal and lignite deposits in India.

2. All matters relating to production, supply, distribution and prices of coal.

3. Development and operation of coal washeries other than those for which the Department of Steel (Ispat Vibhag) is responsible.

4. Low temperature carbonisation of coal and production of synthetic oil from coal.

5. Administration of the Coal Mines (Conservation and Development) Act, 1974.

6. The Coal Mines Provident Fund Organisation.

7. The Coal Mines Welfare Organisation.

8. Administration of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provision Act, 1948 (46 of 1948).

9. Administration of the Coal Mines Labour Welfare Fund Act, 1947 (32 of 1947).

10. Administration of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957.

11. Public Sector Enterprises dealing with coal and lignite.

12. Administration of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 and other Union Laws in so far as the said Act and Laws relate to coal and lignite and sand for stowing ; business incidental to such administration including questions concerning various States.

D. DEPARTMENT OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (GAIR-PARAMPARIK OORJA SROTA VIBHAG)

1. Research and development of bio gas and programmes relating to bio gas units.

2. Commission for Additional Sources of Energy (CASE).";

(e) for the heading "MINISTRY OF LABOUR (SHRAM MANTRALAYA)" and the entries thereunder, the following heading and entries shall be substituted, namely :—

"MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRAM AUR PUNARWAS MANTRALAYA)

A. DEPARTMENT OF LABOUR (SHRAM VIBHAG)

Part I—Union Subjects

1. In respect of Union Railways—payment of wages, trade disputes, hours of work from employees not covered by the Factories Act, and regulation of employment of children.

2. In respect of Docks—regulation of safety, health and welfare measures concerning dock labour.

3. Regulation of labour and safety in mines and oil-fields.

Part II—Concurrent subjects

4. Factories.

5. Welfare of labour-industrial, commercial and agricultural conditions of labour ; provident funds ; family pension, gratuity, employers' liability and workmen's compensation; health and sickness insurance, including invalidity pensions, old age pensions, improvement of working conditions in factories ; canteens in industrial undertakings.

6. Unemployment Insurance.

7. Trade Unions ; industrial and labour disputes.

8. Labour statistics.

9. Employment and unemployment except rural employment and unemployment.

10. Vocational and technical training of craftsmen.

Part III—Additional business for Union Territories of Himachal Pradesh, Manipur, Tripura and Delhi.

11. Items mentioned in Part II above.

Part IV—Incidential business with respect to any of the matters mentioned in Parts I, II and III above.

12. The implementing of treaties and agreements with other countries.

13. Offences against laws.

14. Inquiries and Statistics.

15. Fees, but not fees taken in any court.

16. Jurisdiction and powers of all courts (except the Supreme Court).

Part V—Miscellaneous Business

17. Employment Exchanges.

18. Schemes for training of instructors, craftsmen, technicians at foreman and supervisory level, both in India and abroad, apprentice training.

19. International Labour Organisation.

20. Tripartite Labour Conferences.

21. War Injuries (Compensation Insurance) Act, 1943 and Scheme.

22. Administration of Essential Service (Maintenance) Act.

23. Administration of laws connected with safety and welfare in mines other than coal mines; organisations of the Chief Inspector of Mines and Mica Mines Welfare.

24. Administration of the Indian Dock Labourers Act, 1934 and the Regulations made thereunder and the Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Scheme, 1961 framed under the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948.

25. Administration of the Tea Districts Emigrant Labour Act and the Organisation of the Controller of Emigrant Labour.

26. All emigration under the Emigration Act, 1922 (7 of 1922) from India to overseas countries and the return of emigrants.

27. Administration of the Minimum Wages Act.

28. Administration of Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), and Payment of Gratuity Act, 1972 (39 of 1972).

29. Administration of Labour laws in central sphere undertakings.

30. Labour Statistics; Organisation of Director, Labour Bureau.

31. Organisation of Chief Labour Commissioner and Constitution and administration of Central Government Industrial Tribunal, Central Government Labour Courts, National Industrial Tribunal.

32. Organisation of Chief Adviser Factories, including Central Labour Institute, Productivity and TWI Centres and Regional Museums of Safety, Health and Welfare.

33. Plantation Labour and Administration of Plantations Labour Act, 1951 (69 of 1951).

34. Recruitment, posting, transfer and training of Government Labour Officers.

35. Administration of the Working Journalists (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955.

36. Schemes regarding workers' education.

37. Schemes regarding workers' participation in management.

38. Discipline in industry.

39. Constitution of Wage Boards for individual industries.

40. Regulation of working condition of motor transport workers.

41. Evaluation of the implementation of labour laws in the country.

B. DEPARTMENT OF REHABILITATION (PUNARWAS VIBHAG)

1. Relief and Rehabilition of displaced persons from former East Pakistan.
Relief includes :—

Establishments of camps, payment of cash doles, provision of other amenities and necessities.

Rehabilitation includes :

Housing, trainnig and employment, resettlement on land in business, industries and other non-agricultural occupations.

2. Relief and rehabilitation of repatriated Indian nationals.

3. Relief and Rehabilitation of Tibetan refugees.

4. Relief and Rehabilitation of displaced persons from Chhamb area in Jammu and Kashmir. Chhamb Displaced Persons Rehabilitation Authority.

5. Dandakaranya Development Scheme and Dandakaranya Development Authority.

6. Administration of Central Camps, work site camps and Karmi Shibirs for displaced persons from former East Pakistan.

7. Rehabilitation Industries Corporation.

8. Residuary problems relating to displaced persons from former East Pakistan, in West Bengal.

9. Residuary problems of refugees from Bangladesh.

10. Residuary problems of migrants from Pakistan occupied areas of Jammu and Kashmir.

11. Development of such special areas as may be indicated by the Prime Minister from time to time.

12. Relief and Resettlement of persons affected in border areas of Jammu and Kashmir, Punjab, Gujarat and Rajasthan during the Indo-Pak Conflict, 1971.

13. Residuary matters relating to displaced persons from former West Pakistan now Pakistan.

14. Administration of following Acts :

(a) Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950).

(b) Evacuee Interest (Separation) Act, 1951 (64 of 1951).

(c) Discplaced Persons (Debts Adjustment) Act, 1951 (70 of 1951).

(d) Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954).

(e) Displaced Persons (Claims) Supplementary Act, 1954 (12 of 1954).

(f) Transfer of Evacuee Deposits Act, 1954 (15 of 1954).

(g) Matters relating to Goa, Daman and Diu Administration of Evacuee Property Act, 1964.

15. Negotiations with Pakistan concerning evacuee property left by displaced persons from former West Pakistan now Pakistan.

16. Restoration of movable property received from former West Pakistan now Pakistan to the displaced persons from former West Pakistan now Pakistan.

17. (a) Verification and payment of claims of displaced persons from former West Pakistan now Pakistan who were Government servants in the undivided provinces, and local bodies in respect of pension, provident fund, leave salary and security deposits.

(b) Ad-hoc schemes for payment of pension, G.P. Fund, leave salary and ex-gratia relief to displaced Government servants from former West Pakistan now Pakistan, grant of relief to the contractors in respect of their verified claims ; grant of relief to pensioners migrated from former East Pakistan and West Pakistan now Pakistan between 1-1-1961 and 25-3-1971.

18. All Attached or Subordinate Offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list.

N.B.—Except where specified, the programmes of relief and rehabilitation are executed and administered through the State Governments." ;

(f) the heading "MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (PETROLEUM, RASAYAN AUR URVARAK MANTRALAYA)" and the entries thereunder shall be omitted ;

(g) for the heading "MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITATION (POORTI AUR PUNARWAS MANTRALAYA)" and the entries thereunder, the following heading and entries shall be substituted, namely :—

"MINISTRY OF SUPPLY (POORTI MANTRALAYA)

1. Purchase, inspection and shipment of stores for the Central Government other than the items the purchase, inspection and shipment of which are delegated to other authorities by a general or special order.

2. Disposal of surplus stores.

3. Residual work of supply and disposal relating to the late war organisations including the Directorate General, Aircraft, including Civil Maintenance Unit and Directorate General Ship Repairs.

4. Administration of—

(a) Directorate General of Supplies and Disposals.

(b) Office of the Chief Pay and Accounts Officers, New Delhi.

(c) National Test House, Alipore, Calcutta." ;

(h) for the heading "MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (PARYATAN AUR NAGAR VIMANAN MANTRALAYA)", and the entries thereunder, the following heading and entries shall be substituted, namely :—

"MINISTRY OF TOURISM (PARYATAN MANTRALAYA).

1. Development of Tourism.

2. Youth Hostels.

3. India Tourism Development Corporation and Public Sector Hotels|Motels thereunder.

4. Inquiries and statistics for the purpose of any of the matters specified in this list.

(i) for the heading "DEPARTMENT OF ENVIRONMENT (PARYAVARAN VIBHAG)", and the entries thereunder, the following heading and entries shall be substituted, namely :—

"DEPARTMENT OF ECOLOGY (PARISTHITI VIGYAN VIBHAG).

1. Environment and Ecology.

2. Wild life preservation and protection of wild birds and animals.

3. Botanical Survey of India.

4. Zoological Survey of India.

5. National Museum of Natural History.

6. The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

7. The Water (Prevention and Control of Pollution) Cess Act, 1977.

8. The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.

(j) after the heading "DEPARTMENT OF SPACE (ANTARIKSH VIBHAG)" ; and the entries thereunder, the following heading and entries shall be inserted, namely :—

"DEPARTMENT OF SPORTS (KHEL VIBHAG)

1. Games, sports, boy scouts, girl guides, National Discipline Scheme, etc.

2. Youth Welfare activities (excluding youth hostels), youth festivals, work camp, etc.".

ZAIL SINGH
PRESIDENT

[No. 74|2|11|82-Cab.]

PREM KUMAR, Additional Secretary

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982